





218-644 8

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(विधि-शाखा)

सी०सी०ए० केस सं०-.....36...../2020-21
राज्य सरकार -बनाम- अमन कुमार उर्फ गोलू

(दैनिक उपस्थिति)

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक:-857/डी०सी०बी०, दिनांक:-22.07.2020 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी-अमन कुमार उर्फ गोलू, पे०-हरिमोहन प्रसाद, सा०-क्वा०नं०-132/2/2 हाउसिंग कॉलोनी, थाना-गोविन्दपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की संबंधित धाराओं के तहत थाना हाजरी दर्ज कराने का प्रस्ताव प्राप्त है। तदनुसार झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के तहत विपक्षी अमन कुमार उर्फ गोलू को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>दिनांक:- 5-2-21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। </p>	
5.2.21	<p>नोटिस का तामिल्य अप्राप्त दिनांक 23.2.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  जिला दण्डाधिकारी। </p>	
23.2.21	<p>नोटिस का तामिल्य अप्राप्त send the notice again. put up on 05/03/21.</p>	
5.3.21	<p>नोटिस का तामिल्य अप्राप्त दिनांक 9.3.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
9.3.21	<p>विपक्षी अप्राप्त दिनांक 18.3.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  -अप्राप्त। </p>	

16-03-21 मोहिय का लामेला के समन्वय में ग्राम-समिती गोविन्दपुर द्वारा निर्धारित किया गया है कि अपराधकमी उमन कुमार उनके गोलु के हरिमोहन अण्डा क्रमां न. 132/21 हाउसिंग कॉलोनी, ग्राम-गोविन्दपुर, गोविन्दपुर-ग्राम कार्ड नं. 85/20 में जेल में हैं।

अतः बरीम सुविध अवीयत मुनीसिंहम जमरोटपुर हांग बरीम ए.ए. ग्राम एम.वे. जमदि अकार को अखीरत किया जाय है।

लेखापर
 ५/३/२१
 उजापुर

५/३/२१
 उजापुर।